# प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, झालावाड़ थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2022
   प्र0सू0रि0 सं ......73/2022...... दिनांक......5/3/2022......
2. (1) अधिनियम ........धाराऐं ..... 7,7ए पी.सी.( संशोधन ) एक्ट 2018 व 120बी आईपीसी........

   (2) अधिनियम..............................धाराऐं ..............................

   (3) अधिनियम..............................धाराऐं..............................

   (4) अन्य अधिनियम एवं .............................. धाराऐं ..............................

3. (क) घटना का दिन :– शुक्रवार दिनांक :– 04.03.2022
   (ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 03.03.2022 समय :– 8.00 ए.एम.
   (ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ..........106........ समय..........8:10 P.M.
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित टाईप शुदा प्रार्थना पत्र
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
   (क) थाने से दिशा एवं दूरी –चौकी ए.सी.बी. झालावाड़ से करीब 40 कि0मी0 बजानिब पूर्व–दक्षिण दिशा
   बीट संख्या..............................जुरामदेही सं..............................
   (ख) पताः– क्षैत्रीय वन अधिकारी बकानी वन मण्डल झालावाड़ का कार्यालय कक्ष
   (ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम.............जिला ..........
6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
   (क) नाम :– श्री अलाद्दीन
   (ख) पिता/पति का नाम :– स्व. श्री अजीज खां जाति मुसलमान
   (ग) जन्म तिथि/उम्र :– 51 साल
   (घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (ङ) पासपोर्ट संख्या......................जारी करने की तिथि..............................जारी करने का स्थान
   (च) व्यवसाय –
   (छ) पता :– रीछवा थाना बकानी जिला झालावाड़।
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

   1. श्री मुरली मनोहर शर्मा पुत्र स्व. श्री रामलाल शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 59 वर्ष निवासी बड़बड़ थाना बकानी जिला झालावाड़ हाल वनपाल अतिरिक्त प्रभार क्षैत्रीय वन अधिकारी बकानी वन मण्डल झालावाड़ राज0

   2. श्री जगदीश चन्द पुत्र स्व. श्री मांगीलाल जाति माली उम्र 56 वर्ष निवासी रटलाई थाना रटलाई जिला झालावाड़ राज0 हाल वनपाल वन नाका रीछवा रेंज बकानी जिला झालावाड राज0

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः – 5,000 रूपये .............
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो )..............................
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय,

हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 03.03.2022 को समय 08.00 ए.एम. पर परिवादी श्री अलाद्दीन पुत्र स्व0 श्री अजीज खां उम्र 51 वर्ष जाति मुसलमान निवासी रीछवा थाना बकानी जिला झालावाड़ मो0नं0-9928099141 ने ब्यूरो कार्यालय में स्वंय उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक टाईप शुदा प्रार्थना पत्र पेश किया। परिवादी श्री अलाद्दीन के प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र अपने विश्वासपात्र व्यक्ति से टाईप कराना बताया है जो अन्य किसी भी व्यक्ति से

इस सम्बध में कोई जिक्र नही करेगा तथा गोपनीयता बरतेगा। परिवादी ने टाईप शुदा प्रार्थना पत्र मे अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा उस पर स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया है। परिवादी ने मजमून दरियाप्त पर बताया कि उसके स्वंय के नाम से लाल रंग का 575 डीआई महिन्द्रा कम्पनी का एक ट्रेक्टर जिसके नम्बर आरजे–17–आरए–1446 है। जिसको वह खेती–बाडी करने व घरेलू काम–काज मे उपयोग में लाता है। दिनांक 24.02.2022 को वह अपने ट्रेक्टर में रीछवा के पेट्रोल पम्प के पास डीजल भराने के लिये गया था तथा जब पेट्रोल पम्प के अन्दर जाने लगा तो वहां पर खडे श्री मुरली मनोहर शर्मा रेन्जर साहब बकानी व श्री जगदीश चन्द माली नाकादार वन नाका रीछवा ने ट्रेक्टर–ट्रोली को पेट्रोल पम्प के बाहर भी रूकवाकर साईड मे खड़ा करा दिया तथा कहने लगे कि तू अभी–अभी अपनी ट्रोली में वन क्षैत्र की भूमि से एक ट्रोली पत्थर भरकर लाया है बता वह पत्थर कहां खाली करके आया है। इस पर मैंने कहां की मेरी ट्रोली देख लो खाली पड़ी है। मैं कोई वन विभाग की भूमि से पत्थर लेकर नहीं आया हूं और ना ही मैंने कहीं पर भी पत्थर खाली किये है। मेरे मना करते रहने के बाद भी रेन्जर साहब ने मुझसे कहा की तू झूठ बोलता है। चुपचाप ट्रेक्टर–ट्रोली को नाके पर ले चल। इस पर मैंने उनके कहने पर अपने ट्रेक्टर–ट्रोली को रीछवा वन नाका पर ले जाकर खड़ा कर दिया। वहां पर रेन्जर साहब श्री मुरली मनोहर शर्मा जी ने मेरे ट्रेक्टर–ट्रोली को जब्त कर उसके कागजात बना दिये तथा मुझसे कहा कि तेरा ट्रेक्टर जब्त हो गया है। अब 51000 रूपये की रसीद कटाकर छुड़ा ले जाना। कल दिनांक 02.03.2022 को मैं दुबारा श्री मुरली मनोहर शर्मा रेन्जर साहब से उनके कार्यालय में बकानी जाकर मिला तो उन्होने कहा कि तुम्हारी फाईल एसीएफ साहब श्री राजीव कुमार शर्मा जी के कार्यालय मे झालावाड़ भिजवा दी है। तू वहां जाकर मिल ले। इस पर मैं दिनांक 02.03.2022 को एसीएफ साहब श्री राजीव कुमार शर्मा जी के कार्यालय मे झालावाड़ मे जाकर उनसे मिला तो उन्होने कहा कि यदि रेन्जर साहब मुझे यहां आकर बोल देगें तो मैं 51 की जगह 40 हजार रूपये की रसीद बना दूंगा परन्तु इससे कम नही बना सकता हूं। इस पर मैंने वापिस बकानी जाकर श्री मुरली मनोहर शर्मा रेन्जर साहब को यह बात बताई तो वह कहने लगे कि तूझे यदि तेरा ट्रेक्टर छुड़वाना है और पत्थर भरकर लाने–ले जाने है तो मुझे 5000 रूपये प्रति माह बन्धी के देने पडेगें। उसके बाद तुम्हे कोई भी परेशान नही करेगा और न ही कोई तुम्हारा ट्रेक्टर पकड़ेगा। मैं रीछवा नाकादार को भी बोल दूंगा। मैं मेरे जायज काम के लिये श्री मुरली मनोहर शर्मा रेन्जर साहब को 5000 रूपये मासिक बन्धी के रूप मे रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं तथा उसको रिश्वत लेते हुए उन्हे रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूॅं। मेरी उनसे कोई पुरानी रंजिश नही है तथा ना ही कोई पुराना लेन–देन अथवा उधारी चुकता करना शेष है। परिवादी के प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला (संशोधित) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 की परिधी में आने पर दिनांक 03.03.2022 समय 08.40 एएम पर ब्यूरो कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि. नं. 97 से मालखाना से निकलवाकर चैक करवाकर परिवादी श्री अलाद्दीन को रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु रूबरू गवाहान चालू बन्द करने की विधिवत प्रक्रिया ऑपरेटिंग करना भली–भांति समझाया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 03.03.2022 समय 09. 00 एएम पर परिवादी श्री अलाद्दीन के बताये अनुसार आरोपी श्री मुरली मनोहर शर्मा रेन्जर का उसके गांव बड़बड़ होने की जानकारी दिये जाने पर आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप करने हेतु डिजिटल वाईस रिकॉर्डर देकर हमराह निगरानी हेतु श्री सूरजमल कानि. 521 के साथ दोनों को अपनी–अपनी मोटर साइकिलों से बजानिब गांव बड़बड़ के लिये रवाना किया जाकर हिदायत मुनासिब की गई। दिनांक 03.03.2022 समय 11. 15 एएम पर परिवादी श्री अलाद्दीन व साथ में निगरानी हेतु भेजे गये ब्यूरो कार्यालय के श्री सूरजमल कानि. 521 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी श्री अलाद्दीन ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया। जिनसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पुछताछ की गई तो, परिवादी ने बताया की मैंने आपके निर्देशानुसार श्री सूरजमल जी के साथ गांव बड़बड़ पंहुचा। जहां पर कुछ दुरी पहले ही मेन रोड़ पर श्री सूरजमल जी को रूकने व इन्तजार करने का बताकर मैं गांव बड़बड़ में स्थित श्री मुरली मनोहर शर्मा रेन्जर के घर पर चला गया था जहां पर श्री मुरली मनोहर शर्मा रेन्जर मुझे मौजूद मिले जिनसे मैंने उनके घर पर मेरी जब्तशुदा ट्रेक्टर–ट्रोली छुड़वाने व मासिक बन्धी देने के सम्बध में वार्तालाप की थी। वार्तालाप करने के दौरान डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर लिया था। आरोपी श्री मुरली मनोहर शर्मा रेन्जर ने मुझसे मासिक बन्धी के 5000 रूपये की मांग की है तथा ट्रेक्टर–ट्रोली छुड़वाने के लिये 40 हजार रूपये की रसीद काटने की बातचीत की है। आरोपी श्री मुरली मनोहर शर्मा रेन्जर से की गई रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप को मेरे द्वारा आपको सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। उसके बाद मे श्री सूरजमल जी के साथ–साथ अपनी–अपनी मोटर साईकिलों से आपके कार्यालय में आ गये है। परिवादी श्री अलाद्दीन द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि. नं. 97 को देकर सुरक्षित मालखाना रखवाया गया। आईन्दा रूबरू स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप को सुना जाकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब की जावेगी। परिवादी श्री अलाद्दीन ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया की आरोपी आज ही रिश्वत राशि मंगा रहा है परन्तु मेरे पास आज रूपये नहीं है। वह आज रिश्वत राशि 5000 रूपये की